मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2015 (अग्रहायण 17, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:33 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 12 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, एवं 12) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये.

2. पृच्छा

प्रश्न क्रमांक 2 के पश्चात् डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा बिरला मंदिर के पास पुलिस द्वारा बेरीकेट्स लगाकर विधायकों को रोके जाने के कारण उन्हें 1 किलो मीटर पैदल चलकर विधान सभा में आने संबंधी सूचना सदन को दी गई.

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि - अभी जानकारी मंगा लेते है, ऐसी कोई बात नहीं है.

3. गर्भगृह में प्रवेश एवं बहिर्गमन

श्री सुन्दरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा प्रश्न संख्या 7 पर इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सर्वश्री रामनिवास रावत, सुन्दरलाल तिवारी, अजय सिंह, विक्रम सिंह नातीराजा, शैलेन्द्र पटेल, डॉ. रामकिशोर दोगने, रजनीश हरवंश सिंह एवं अन्य सदस्यगण किसानों द्वारा बिजली का बिल न जमा करने पर एफ.आई.आर. दर्ज होने की बात कहते हुए गर्भगृह में आये और माननीय अध्यक्ष की समझाईश पर अपने स्थान पर गये.

श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य द्वारा अपने प्रश्न संख्या 9 पर राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत डिण्डोरी जिले में कराये गये कार्यों की अनियमितताओं पर उनकी उपस्थिति में जांच कराने की बात कहते हुए गर्भगृह में आये तथा उपनेता प्रतिपक्ष श्री बाला बच्चन एवं श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा अध्यक्ष महोदय के कहने पर माननीय सदस्य को उनके स्थान पर ले जाया गया. परन्तु श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा श्री जितू पटवारी, सदस्य के प्रश्न संख्या 11 पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष एवं इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण सर्वश्री आरिफ अकील, रामनिवास राव, अजय सिंह, कुंवर विक्रम सिंह द्वारा श्री आरिफ अकील, सदस्य की सिख समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा तलवार लेकर चलने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर अपनी बात कहते हुए गर्भगृह में आये एवं माननीय अध्यक्ष की समझाईश पर वापस अपने स्थान पर गये.

4. पृच्छा : (मुख्यमंत्री का वक्तव्य)

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री द्वारा अपने निवास पर सिख समाज के कार्यक्रम में तलवार लेकर चलने के संबंध में श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा उल्लेख करने पर, संक्षिप्त भाषण देकर स्थिति स्पष्ट की गई.

(सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण अध्यक्ष महोदय द्वारा 11.37 बजे कार्यवाही स्थगित की जाकर 11.48 बजे पुन: समवेत् हुई.)

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

5. स्थगन प्रस्ताव

शासकीय चिकित्सालय जिला बड़वानी में आपरेशन के दौरान मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाने विषयक

शासकीय चिकित्सालय जिला बड़वानी में आपरेशन के दौरान मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की 12 सूचनाओं में श्री रामनिवास रावत, सदस्य की सर्वप्रथम प्राप्त सूचना को ग्राह्य कर अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया तथा श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता (मुख्यमंत्री) की सहमति से, तत्काल प्रारंभ की गई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(2) श्री बाला बच्चन, उपनेता प्रतिपक्ष
(3) डॉ. गोविन्द सिंह
(4) श्री शैलेन्द्र जैन
(5) श्री मुकेश नायक

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

6. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

7. स्थगन प्रस्ताव (क्रमश:)

(6) श्री विश्वास सारंग
(7) श्री कमलेश्वर पटेल
(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्री जितू पटवारी
(10) श्री गिरीश गौतम
(11) श्री झूमा सोलंकी
(12) श्री ओम प्रकाश सखलेचा
(13) डॉ. मोहन यादव
(14) श्री सुन्दरलाल तिवारी
(15) श्री अजय सिंह

8. बहिर्गमन

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा चर्चा के उत्तर के मध्य मुख्यमंत्री द्वारा स्थगन प्रस्ताव का जवाब न देने के विरोध में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया.

9. अध्यक्षीय व्यवस्था

नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर के दौरान सदन से बहिर्गमन करने पर श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, श्री भूपेन्द्र सिंह, परिवहन मंत्री एवं श्रीमती अर्चना चिटनीस, सदस्य द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा चर्चा में भाग न लेने के संबंध में निन्दा का प्रस्ताव पारित करने संबंधी के उल्लेख करने पर, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी कि "प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव को शासन ने चर्चा के लिये स्वीकार किया. अब प्रतिपक्ष यहां उपस्थित नहीं है. इस पर सत्ता पक्ष की आपत्ति पर मेरा मत है कि – किसी को जवाब सुनने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, यह उनके विवेक पर छोड़ना पड़ेगा. प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझेगा, ऐसा मुझे भरोसा है."

10. विधान सभा की आचरण समिति को प्रकरण सौंपने का प्रस्ताव

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के उत्तर के दौरान सदन से बहिर्गमन करने पर श्री कैलाश चावला, सदस्य एवं सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री द्वारा प्रस्ताव दिया कि यह प्रकरण विधान सभा की आचरण समिति को सौंपे जाने का अनुरोध करने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई कि - यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आचरण समिति के समक्ष विधिवत् आयेगा तो विचार किया जायेगा. अभी लोक स्वास्थ्य मंत्री महोदय स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दें.

11. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

डॉ. नरोत्तम मिश्र, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा चर्चा का संक्षिप्त उत्तर दिया एवं शेष लिखित उत्तर पटल पर रखा तथा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने भी चर्चा का उत्तर दिया.

अपराह्न 2.35 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 (18 अग्रहायण, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 8 दिसम्बर, 2015